



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164185

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7929/2026

पुष्पेन्द्र सिंह

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : प्रेम चन्द्र द्विवेदी, विवेक कुमार द्विवेदी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
- 2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 515 सन् 2025, धारा 191(2), 191(3), 332(सी), 115(2), 109(1) एवं 351(2) बी.एन.एस., 2023, थाना-सिकन्दरा, जनपद-आगरा के अन्तर्गत इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
- 3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है तथा निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग की है:-
 - i- प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में सभी अभियुक्तों को सामान्य भूमिका सौंपी गई है।
 - ii- घायल व्यक्तियों, जिनकी संख्या दो है, को केवल साधारण चोटें आई हैं।
 - iii- चोटों की संख्या अभियुक्तों की संख्या के अनुरूप नहीं है।
 - iv- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में तीन दिन का विलम्ब हुआ है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



v- समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त दिगम्बर उर्फ सोनू दादा एवं रामू को इस न्यायालय द्वारा नाबेल संख्या 5118 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

vi- आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकों ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर दोनों घायल व्यक्तियों को गंभीर चोटें पहुँचाई हैं। तथापि, विद्वान ए.जी.ए. इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि घायलों के शरीर पर पाई गई कोई भी चोट न तो गंभीर प्रकृति की और न ही जीवन के लिए घातक होना अभिमत की गई है। वह इस तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त दिगम्बर उर्फ सोनू दादा एवं रामू को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

5- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6- आवेदकों को सामान्य भूमिका सौंपी गई है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्टों के अनुसार, घायलों को आई चोटें साधारण प्रकृति की होना अभिमत की गई हैं। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए घायलों के कथनों में भी आवेदकों की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पाँच व्यक्तियों को नामित किया गया है तथा 2-3 अज्ञात व्यक्तियों का भी उल्लेख है। चोटों की संख्या अभियुक्तों की संख्या के अनुरूप नहीं है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त दिगम्बर उर्फ सोनू दादा एवं रामू को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

7- उपर्युक्त वर्णित प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथमदृष्टया प्रकरण बनता है।

8- आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9- उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक-**पुष्पेन्द्र सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i- आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

10- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

05 अगस्त, 2026

कुशल

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।